

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत 18/06/2015

गूजरया पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील गंगापुरसिटी
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, गंगापुरसिटी

सम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू-राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 33/15

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 14/15 में पारित आदेश दिनांक 20/02/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम हबीबपुर के आराजी खसरा नम्बर 509 रकवा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला पर संवत 2071 रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काशत करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय पेटोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखी गई।

अपीलार्थी गूजरया स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम हबीबपुर की आराजी खसरा नम्बर 509 रकवा 0.06 हैक्टर, किस्म गै.मु.नाला पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा काशत नहीं है तथा अपीलार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा उक्त शपथ पत्र में भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर कभी कब्जा नहीं करूंगा का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने की सहमति भी जताई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी राजस्व लोक अदालत की भावना से आशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार, गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं मोके पर जाकर जाँच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर वर्तमान फसल रबी में कब्जा काशत रहा है अथवा नहीं। यदि वाद जाँच अपीलार्थी का कब्जा काशत नहीं हो तो अपीलाधीन निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18/06/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुंजबिहारी शर्मा)
सदस्य

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर